पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

मीडियाकर्मियों को भी प्राथमिकता से कोरोना का टीका लगाया जाए

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े कर्मियों को कोरोना टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देते हुये, उनका निशुल्क टीकाकरण किये जाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि मीडिया के साथियों ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में जो जिम्मेदार पत्रकारिता का कर्तव्य निभाया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिये। कमल नाथ ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपने पत्र में कोरोना महामारी से निपटने के लिये स्वदेशी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में अमूल्य योगदान देने और संक्रमण से रोगियों को मुक्त कराने में योगदान देने वाले चिकित्सकों और उनके सहयोगियों को भी बधाई दी है। कमल नाथ ने अपने पत्र में पत्रकारों और मीडियाकर्मियों का जिक्र करते हुए कहा कि, इसके साथ ही एक वर्ग ऐसा है, जिसने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और समय-समय पर महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। यह वर्ग मीडिया से जुड़ा है। पत्रकार साथियों और उनके संस्थान में कार्यरत लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान अनवरत काम किया और संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लोगों ने कोरोना से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया और वास्तविक स्थिति की जानकारी से शासन एवं नागरिकों तक पहुंचाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया के प्रति भी संवेदनशीलता और उनके जज्बे का सम्मान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान में जिस तरह अन्य लोगों को जोड़ा गया है, उसी प्रकार मीडियाकर्मियों को भी प्राथमिकता प्रदान कर उनका निशुल्क टीकाकरण किया जाये।

बुंदेलखंड महाकौशल में बीड़ी कारोबार पर संकट के बादल

कोटपा को लेकर शिवराज करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात

भोपाल, देशबन्धु। केंद्र सरकार द्वारा सिगरेट एंड अंडर टुबेको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) 2003 में अभी हाल में किए गए संशोधन और जारी नई नियमावली से बीड़ी कारोबार पर संकट के बादल छा गए हैं। इससे बुंदेलखंड और महाकौशल के कई हिस्सों में जारी इस कारोबार से जुड़े हजारों परिवारों के रोजगार पर असर पड़ना तय है।

इसी बात को लेकर बीड़ी उद्योगपतियों के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की तो वहीं लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर नियमावली को अव्यवहारिक बताया है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा में संशोधन कर जो नई नियमावली जारी की है उसके जरिए बीड़ी कारोबार को सिगरेट और गुटका के समतुल्य लाकर खड़ा कर दिया गया है, जबकि बीड़ी उत्पादन का काम कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। इसमें न तो मशीन का उपयोग होता है और न ही बिजली का। देश के अन्य हिस्सों की तरह बुंदेलखंड के सागर, दमोह के अलावा महाकौशल के जबलपुर व उसके आसपास के हिस्से में हजारों परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं और उनके जीवकोपार्जन का साधन बना हुआ है। नई नियमावली से बीड़ी उत्पादन के अलावा उसकी बिक्री करना भी लोगों के लिए कठिन हो गया है। बीड़ी कारोबारी इस नियमावली पर आपत्ति भी दर्ज कराते आए हैं। मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ के प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री चौहान से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। प्रतिनिधियों के साथ मौजूद विधायक शेलेन्द्र जैन ने बताया कि कोटपा में किए जा रहे संशोधन अव्यवहारिक हैं, जिनका पालन करना बीड़ी श्रमिकों सहित संस्थान को सम्भव नही है। इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि आप भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से बात कर इन संसोधनों को रोके। ताकि डूब की कगार पर चल रहे बीड़ी उद्योगो को बचाया जा सके।

विधायक जैन ने बताया कि बीड़ी उद्योगों से लाखों श्रमिकों की रोजी रोटी पर बन आएगी। जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए शीघ्र ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की बात कही। मध्य प्रदेश बीड़ी उधोग संघ की अध्यक्ष डॉ. मीना पिम्पलापुरे ने बताया कि कोटपा, अर्थात सिगरेट एंड अंडर टोबैको प्रॉडक्ट्स एक्ट 2003 में हाल ही में संशोधन कर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2020 को नयी नियमावली जारी की है। यह संशोधित नियमावली के नियम बीड़ी उद्योग के लिए पूर्णतः अव्यवहारिक हैं। बीड़ी मजदूरों और कारोबार की हमेशा आवाज उठाने वाले लोकनिर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कोटपा एक्ट से प्रभावित होने वाले इस कारोबार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन को एक पत्र लिखा है। पत्र में बीड़ी उधोग संघ द्वारा बताए सुझावों को प्रेषित किया है।

जबलपुर में 6 स्थानों पर हुई कार्रवाई

15 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

भोपाल, देशबन्धु। जबलपुर में माफियाओं के रसूख को नेस्तनाबूद करने चलाये जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर एक साथ 6 स्थानों पर बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में 25 करोड़ 46 लाख रुपये अनुमानित बाजार मूल्य की 15 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। जबलपुर की पनागर तहसील के ग्राम पिपरिया बनियाखेड़ा में रसूखदार वीरेन्द्र पटेल के कब्जे से करीब 18 करोड़ 66 लाख रुपये बाजार मूल्य की 12 एकड़ शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। स्कूल एवं मुख्य सड़क से लगी बेशकीमती जमीन पर पूर्व सरपंच वीरेन्द्र पटेल द्वारा 15 वर्षों से कब्जा कर खेती की जा रही थी। इसके पूर्व एक बार इस शासकीय भूमि को कब्जामुक्त कराया गया था, किन्तु वीरेन्द्र पटेल द्वारा दोबारा फैंसिंग कर कब्जा कर खेती की जा रही थी। पूर्व सरपंच वीरेन्द्र पटेल के भय के कारण गाँव का कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जिला प्रशासन की अगुवाई में पुलिस और नगर निगम के सहयोग से की गई कार्यवाही के दौरान हिस्ट्रीशीटर और निगरानीशुदा बदमाश मोहम्मद शमीम उर्फ शमीम कबाड़ी द्वारा खजरी में पत्नी संजीदा बी के नाम पर बनाये जा रहे आलीशान घर के अवैध हिस्से को जमींदोज करने के साथ-साथ उसके द्वारा नजदीकी ग्राम चांटी में बनाये गये गोदाम को भी जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी के विरुद्ध थाना गोहलपुर, सिविल लाइन में धोखाधड़ी, मारपीट, तोड़फोड़ तथा आरपीएफ थाना जबलपुर एवं कटनी में रेल सम्पत्ति पर अवैध कब्जा अधिनियम के अपराध पंजीबद्ध हैं। शमीम द्वारा अवैध कब्जा कर निर्मित हवेलीनुमा मकान का 1700 वर्गफुट का हिस्सा और किलेनुमा शक्ल में निर्मित गोदाम का 800 वर्गफुट का अवैध हिस्सा भी जमींदोज किया गया। इसका अनुमानित बाजार मूल्य 74 लाख रुपये है। जिला प्रशासन ने एक अन्य कार्यवाही में ग्राम पिपरिया, बनियाखेड़ी निवासी मोहनलाल पटेल द्वारा शासन की करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपये बाजार मूल्य की 3 एकड़ जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से गोदाम व दुकानों के निर्माण को जमींदोज किया गया। इसी प्रकार खजरी में अबरार कबाड़ी के द्वारा शासन की चरणोई भूमि के 6 हजार वर्गफुट पर अवैध कब्जा कर गोदाम का निर्माण कराया गया था, जिसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जा रहा था। प्रशासन ने इस निर्माण को ध्वस्त कर करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये बाजार मूल्य की जमीन को कब्जामुक्त कराया।

किशोरियों के जीवन को बदलेगा पंख अभियान

मुख्यमंत्री कल करेंगे शुभारंभ

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश में किशोरियों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरुकता लाने के मकसद से 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत होगी। बताया गया है कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरु किया जा रहा है जिसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं के लिए सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही ग्राम स्तर पर सामुदायिक पहल एवं जिम्मेदारी के साथ किशोरियों के विकास के लिये जागरूक करना है।

अभियान के तहत शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत डेटाबेस तैयार कर उनके विकास की मॉनीटरिंग की जाएगी। पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर किशोरियों को उनकी रुचि अनुसार आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जायेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान वर्चुअल माध्यम से 435 आंगनवाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात एक हजार बालक पर 927 बालिका है, 15-49 वर्ष की महिलाओं में शिक्षा का स्तर 59 दशमलव चार (59.4) प्रतिशत एवं एनीमिया साढ़े 52 प्रतिशत है। किशोरावस्था के समय यह जरूरी है कि उनकी जीवन-शैली एवं सपनों को सही ज्ञान एवं व्यवहारिक रूप दिया जाये। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश द्वारा नई पहल की शुरूआत की जा रही है, जो किशोरियों के बहुमुखी विकास के लिये पंख अभियान की परिकल्पना की गई है।

मुख्यमंत्री से मिले पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर पूर्व विधायक और मध्यप्रदेश इतिहास संकलन समिति के पदाधिकारी तेज सिंह सेंधव ने भेंट की। श्री सेंधव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को देवास जिले के पुरातात्विक और पर्यटन महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए ऐसे स्थलों के विकास के संबंध में सुझाव दिए।

नर्सिंग होम कोरोना मरीजों से तय दर से 40 फीसदी तक ही ज्यादा रकम ले पाएंगे

भोपाल, देशबन्धु। मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों का उपचार करने वाले सभी क्लीनिक और नर्सिंग होम को अपने रिसेप्शन काउंटर पर उपचार दरों का ब्यौरा प्रदर्शित करना होगा। यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। राज्य में कोई नर्सिंग होम कोरोना मरीज से प्रदर्शित दरों से 40 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं ले सकेंगे। ज्ञात हो कि राज्य में भोपाल छोड़कर अन्य स्थानों पर सरकारी कोविड सेंटर को बंद किया जा चुका है। सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वहीं निजी नर्सिंग होम और क्लीनिक को सरकार की ओर से सहायता नहीं दी जा रही है। इस स्थिति में निजी नर्सिंग होम और क्लीनिक द्वारा मरीजों से मनमानी वसूली की शिकायतें मिल रही हैं। स्वास्थ्य, सूचना, शिक्षा, संचार ब्यूरो संचालक वसंत कुंर्रे ने बताया कि रिसेप्शन पर उपचार दरें प्रदर्शित करने के आदेश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा नवंबर 2020 में कोविड-19 की निर्धारित उपचार दरों को क्लीनिक और नर्सिंग होम में रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में पारित आदेश के अनुक्रम में निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्लीनिक एवं नर्सिंग होम जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोविड-19 की निर्धारित दरों की भेजी गई सूची में दर्शाई दरों से 40 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

10 महीने में हुए 3 हजार से अधिक तबादले

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश में भाजपा के सत्ता पर काबिज होने के बाद 10 महीने में शिवराज सरकार ने 3000 से अधिक तबादले किए है। जिसमें 80 फ़ीसदी कलेक्टर के तबादले हुए हैं। वहीं 187 आईएएस को इधर से उधर किया गया है। वहीं 160 आईपीएस अफसरों को भी नई पदस्थापना दी गई है। उल्लेखनीय है कि सबसे अधिक तबादले स्कूली शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिले हैं।

इसके बाद पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग में भी तबादलों का दौर देखा गया है। जहां स्कूल शिक्षा विभाग में 400 उच्च शिक्षा में 200 तबादले हुए। वन विभाग में 300 और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी 70 नई पदस्थापना देखने को मिली है।सबसे ज्यादा अबतक नगरीय विकास विभाग में 400 पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 500 तबादले किए गए हैं। जबकि कृषि विभाग में 100 और पुलिस विभाग में 400 तबादले सरकार ने पिछले 10 महीने में किए हैं। वहीं स्वास्थ विभाग में 190 और परिवहन विभाग में 50 तबादले किए गए हैं। इधर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तबादले से प्रतिबंध हटने वाला है लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग में 4000 आवेदन अब तक पहुंच चुके हैं। वहीं स्कूली शिक्षा विभाग में भी तबले के तीन हजार आवेदन अब तक पहुंचे है। जिसके साथ ही पोर्टल खुलने से पहले यह तबादलों के 10 हजार आवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अप्रैल तक इन आवेदनों की संख्या 50 हजार से अधिक होने वाली है।

चिटफंड कंपनियों की सौ करोड़ से अधिक की सम्पत्तियां कुर्क

ग्वालियर, देशबन्धु। ग्वालियर जिले में एंटी माफिया अभियान के तहत चिटफंड कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में जिला प्रशासन की टीमों द्वारा विभिन्न चिटफंड कंपनियों की लगभग 109 करोड़ रूपए लागत की 126 परिसम्पत्तियाँ कुर्क कर ली गई हैं। साथ ही इनमें से लगभग 68 लाख रूपए की 4 परिसम्पत्तियों की नीलामी भी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने कुर्क की गई शेष परिसम्पत्तियों को नीलाम करने के लिये न्यायालय से अनुमति लेने की कार्यवाही की जा रही है।

अपर कलेक्टर टी एन सिंह ने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (चिटफंड) सक्षम डेयरी इंडिया लिमिटेड एवं सन इंडिया रियल स्टेट लिमिटेड की 4 सम्पत्तियों की 67 लाख 37 हजार रूपए में नीलामी की जा चुकी है। इसी तरह केएमजे लैण्ड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की 67 सम्पत्तियों की कुर्की की गई है। कुर्की के बाद इन सम्पत्तियों का 34 करोड़ 58 लाख रूपए मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा परिवार डेयरी एण्ड एलायड लिमिटेड की 55 सम्पत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की गई है। इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन 73 करोड़ 51 लाख रूपए आया है। कुर्क की गईं इन सम्पत्तियों को नीलाम करने के लिये न्यायालय से अनुमति लेने की कार्यवाही जारी है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

रा.प्र.क्र. 120/बी 121/2020-21 दिनांक 29.12.2020/13.01.21

आम इस्तहार का प्रकाशन

आवेदक प्रभूदयाल तनय घनश्याम दास मिश्रा ग्राम पंचायत सरकनुपर द्वारा ग्राम सरकनपुर में श्रीश्री 1008 श्री मंदिर श्री महादेव जी मंदिर सरकनपुर खास का पुजारी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही का प्रस्ताव के साथ ग्राम सरकनपुर के ग्रामवासीयान का पंचनामा प्रस्तुत किया प्रकरण संलग्न है।

उक्त मंदिर के पुजारी नियुक्ति के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह नियत दिनांक 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति न्यायालय में स्वयं/ अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें।

म्याद गुजरने के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया।

अनुविभागीय अधिकारी
उपसंभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड दमोह म.प्र.

क्रमांक 215/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां./खंड दमोह, दिनांक 18.0.2021

निविदा सूचना क्रमांक 205,206, 207, 208, 209, 210, 211/ 2020-21 दिनांक 18.0.2021 प्रकाशन बावत्

(प्रथम आमंत्रण)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से दमोह जिले के विभिन्न विकासखण्डों में पेय जल व्यवस्था कार्य के अंतर्गत नल कूप (हैण्डपंप) संधारण कार्य हेतु प्रपत्र 2.10 प्रतिशत दर पर लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में सी अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग पद्धति से ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित है।

नि. क्र.	ई नि.क्र.	एन.आई.टी. क्रमांक	ग्राम का नाम	मात्रा नग में		अनुमानित लागत रु. लाख रु.	अमानत राशि रू. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. में	कार्य पूर्ण करने की समयावधि
				मेजर	माइनर				
1	2020-21_PHED_123462	205/20-21	दमोह	1755	439	23.04	46000/-	5000/-	12 माह
2	2020-21_PHED_123463	206/20-21	पथरिया	1082	271	14.21	28000/-	2000/-	12 माह
3	2020-21_PHED_123465	207/20-21	हटा	1076	270	14.13	28000/-	2000/-	12 माह
4	2020-21_PHED_123466	208/20-21	पटेरा	1130	283	14.84	30000/-	2000/-	12 माह
5	2020-21_PHED_123467	209/20-21	बटियागढ़	966	242	12.69	25000/-	2000/-	12 माह
6	2020-21_PHED_123469	210/20-21	जबेरा	875	219	11.49	23000/-	2000/-	12 माह
7	2020-21_PHED_123471	211/20-21	तेन्दूखेड़ा	903	226	11.86	24000/-	2000/-	12 माह

कोरे निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाईन दिनांक **28.01.2021** तक क्रय किये जा सकते है। निविदाएं दिनांक **28.01.2021** को 17.30 बजे तक प्राप्त की जावेगी। प्राप्त समस्त ऑनलाईन सीलबंद निविदाएं दिनांक **30.01.2021** को लिफाफा अ पूर्वान्ह 11.00 बजे एवं वित्तीय बिड दिनांक **30.01.2021** अपरान्ह 13.30 बजे खोली जावेगी।

दस्तावेज कार्यालय में **29.01.2021** कार्यालयीन समय तक जमा किये जा सकते है।

निविदा की विस्तृत शर्तें एवं विस्तृत जानकारी **http://www.mptenders.gov.in** एवं विभागीय वेबसाईट **http://www.mptenders.gov.in** पर भी उपलब्ध है। निविदा की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के उपरांत ही कार्यादेश किये जावेगे। एवं आवश्यकतानुसार कार्य घटाया बढ़ाया जा सकता है।

जी-17953/20

दो गज की दूरी, मास्क है जरुरी । जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खंड दमोह

प्रथम पृष्ठ का शेष

गायक नरेन्द्र चंचल का.... याद किया जाएगा। मुझे संदेह है कि पहाड़ियों से गूंजती उनकी आवाज सुने बिना कोई भी कभी भी वैष्णोदेवी तक जाएगा। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने ट्वीट किया, प्रेरक आवाज के साथ एक बेहतरीन गायक। भगवान आपकी आत्मा को शांति प्रदान करें। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने ट्वीट किया, नरेंद्र चंचल जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उन्हें हिंदी फिल्मों में उनके भजन और कुछ उल्लेखनीय गीतों के लिए याद किया जाएगा। गायक दलेर मेहंदी ने कहा, यह जानकर बहुत दुखी हूं कि प्रसिद्ध और लोकप्रिय नरेंद्र चंचल हमें छोड़कर चले गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

सरकार ने किसानों से कहा.... सरकार ने नहीं दिया। इसके साथ ही एक अन्य किसान नेता ने कहा सरकार द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था वो हमने स्वीकार नहीं किया। कृषि क़ानूनों को वापस लेने की बात को सरकार ने स्वीकार नहीं की। अगली बैठक के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। इस वार्ता को लेकर एक किसान नेता ने अपनी नाराजगी की जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने तीन घंटे से ज्यादा समय तक हमसे इंतजार कराया ये किसानों का अपमान हैं।उन्होंने बताया कि कषि मंत्री ने आते ही साफ कह दिया की हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं। अब आप देख लिजिए क्या करना है वरना ये वार्ता का दौर खत्म करते हैं। किसान नेता ने साफ कहा कि हम अपनी जंग जारी रखेंगे और किसान आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों ने राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है।

कांग्रेस ने फिर की.... समझौता करने के इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से निर्धारित समायवधि में जांच कराये जाने की मांग करती है। साथ ही यह भी मांग करती है कि इस मामले में संलिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच की जाए। तीन कृषि कानूनों के बारे में वेणुगोपाल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी ऐसा मानती है कि ये तीनों कानून राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं और ये खाद्य सुरक्षा के तीनों स्तम्भ - एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), सरकारी खरीद व पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को ध्वस्त करने की दिशा में पहला कदम हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये तीनों कृषि कानून संसद के ऊपरी सदन में विपक्ष की आवाज को दबाकर थोपे गए हैं। अगर ये कानून लागू होते हैं तो इससे देश का हर नागरिक प्रभावित होगा क्योंकि खाद्य पदार्थो की कीमत तय करना चंद लोगों के हाथ में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों और खेतीहर मजदूरों की बस एक ही मांग है कि इन कानूनों को पूरी तरह रद्द किया जाए। लेकिन, सरकार किसानों को इस मुद्दे से भटकाकर उनके साथ छल करने का प्रयास कर रही है। किसानों में फूट डालकर उन्हें गुमराह करने और मामले को टालकर उन्हें थकाने की कोशिश कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि सीडब्ल्यूसी मोदी सरकार से इन तीनों कृषि कानूनों को अविलंब रद्द करने की मांग करती है। हमने 10 फरवरी से पहले पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय किया है। इसके बाद 28 फरवरी के पहले जिला स्तर पर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए प्रदेश स्तर पर 28 फरवरी से पहले एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने मांग की कि गरीबों, वंचितों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कोविड का टीका एक निश्चित समयावधि में मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सिविल सेवा परीक्षा के.... एक और मौका देने पर विचार कर रही थी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को वर्ष 2021 की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका पाने की उम्मीद थी। पिछले साल 30 सितंबर को शीर्ष अदालत ने देश के कई हिस्सों में चल रही महामारी और बाढ़ का हवाला देते हुए चार अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी थी।

HDFC BANK We understand your world

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड़, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचें दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जावेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

क्रं.	शाखा एवं खाता का नाम	संपति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	समान बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरिक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथी/समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	**शाखा** - बिना एवं खाता - **एम एस के ट्रेडर्स** इनके प्रोप्रा. श्री मेहरवान साहू द्वारा प्रतिनिधित्व	**श्री विनोद साहू**	राम वार्ड बिना, तेहसील-बिना, जिला-सागर (म.प्र.) स्थित संपत्ति। संपत्ति मालिक श्री मेहरवान साहू पिता केसरी प्रसाद, प्लाट क्षेत्रफल - 1000 वर्गफीट	**रु.83,15,851.75 / दिनांक - 30.11.2019,** 31.10.2019 को बकाया राशि आगे के ब्याज के साथ ब्याज का समावेश @18% प्रतिवर्ष 01.11.2019 से मासिक के साथ क्रेडिट सुविधाओं के तहत पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक।	**02/02/2021 एवं समय- प्रात: 10.00 बजे के बाद**	**रु. 50,00,000/-** / **रु. 5,00,000/-** / **रु. 50,000/-**	**18/02/2021 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक**	**15/02/2021 सायं 4 बजे तक**	**आशिष रावत** मो.: 9981126266 **Ashish.rawat9@hdfcbank.com**

नियम एवं शर्ते

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063, खाता का नाम : FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर कोई भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/करों के बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री दानिश खान, मोबाईल : 09826804343, 09111444797 एवं श्री हरीश गोवडा मो.: 09594597555,** हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 23.01.2021, स्थान : जबलपुर, मध्य प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड